प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों/ स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से अंतर्विष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2012-13 की अवधि के दौरान सरकारी विभागों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा वे मामले भी हैं जो विगत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; आवश्यकतानुसार, 2012-13 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए (मार्च 2002) लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।